| | | | • |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
| ARYANA GOVT GAZ., JULY 14, 1998 (ASAR. 23, 920 SAKA) | 2097 | Nus yin | 1 |
| हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग ग्रधिसूचन, दिनांक 4 फरवरी, 1998 | | | |
| मा० का० नि० 71/संवि०/ग्रनु० 309/98.—-भारत के संविधान के ग्रनुच्छेद 309 नुक द्वारा प्रदान की गई शवितयों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, नसिंग कर्मचारी तथा लेडी हाऊस कीपर (युप थ्वा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा गर्तों को विनियमित करने वाले लेखित नियम बनाते हैं, ग्रथॉत्: | | | |
| भाग I—सामान्य | | -1 23 | 24 |
| । ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग कर्मचारी तथा लेडी हाऊस (ग्रुपग) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं। | संक्षिप्त नाम । | | |
| 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से क्रन्यथा अपेक्षित न हो, | परिभाषाएं । | | |
| (क) ''बोर्ड'' से ग्रभिप्राय है, हरियाणा ग्रधीनस्थ सेवाएं प्रवरण बोर्ड ; | | | |
| (व) "महानिदेशक" से भभि प्राय है, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ; | | | |
| (ग) ''सीधी भर्ती'' से म्रभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ,लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से प्रन्यथा की गई हो ; | | | |
| (घ) ''सरकार'' सें अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ; | | | |
| (ङ) "संस्था" से ग्रभिप्राय है, | | | |
| (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि ढारा स्थापित्न कोई भी संस्था ; या | | an Meridian | |
| (ii) इत तियमों के प्रयोजन के लिये, सरकार द्वारा मन्यता प्राप्त कोई ग्रन्थ संस्था; | | | |
| (ज) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,— | * # | | |
| (i) भारत में विधि ढ़ारा नियमित कोई विश्वविद्यालय ; या | | | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | • | 1 | |
| | 34 | 6 | |
| | | | |
| 8 ° | | | |

- (ii) 15 ग्रगस्त, 1947, से पूर्व हुई दरीक्षा वे दरिणाम स्टस्द प्राप्त अपाधि, उपाधि-पत्न (डिपलो मा) या प्रमाण प्टकी दक्षा में प्रजार, सिन्ध मा ढाका विक्वविद्यालय; या
- (iii) कोई ग्रन्थ विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोधन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया ग्याहो ;
- (छ) "सेवा" से झा भग्राद है कि हरियारा स्वास्थ्य दिभाग, नरिंग व में चार्य, तथा लेडी हाउन्स कीपर (ग्रुप ग) सेवा।

भाग II - – सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट कमें दलाई गये पद होगे:

स्वरूप । परन्तु इन नियमों की

परस्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे ५दें की संरथा में बृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद न्थायी ग्रथवा ग्रस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

त्ये 4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुर्कत नहीं किया आवयेग की जबतक कि वह निम्नलिखित न हो ,——

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राब्ट्रियकता, ग्रधिवास तथा चरित्र ।

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थावी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, वर्मा श्रीलंका, कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गण राज्य (भूतपूर्व टांगानीका स्रौर जंजीवार) जांबिया, मलावी ,जायरे स्रौर ईथोपिया के किसी पूर्वी स्रफीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से दसने के स्राशय से ग्रावा हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होग जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पावता का प्रमाण पत्न जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्न प्राप्त करना आवश्यक हो हरियाणा ग्रधीनस्थ सेवाएं प्रवरण बोर्ड या किसी ग्रन्थ भर्ती प्राधि करण डारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविध्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति क प्रस्ताव उसे सरकार डारा प्रावश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही जिल्ल जा सकता है।

2099

माय् ।

नियुक्ति

प्राधिकारी ।

योग्यताएं ।

ग्रयोग्ताएं ।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती ढ़ारा नियुक्त नहीं किवा जायेगा जब तक कि वह अपनी, अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महा-किवा लय, विद्यालय बा ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी, से चरित्र प्रमाण विद्वा लय, विद्यालय बा ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी, से चरित्र प्रमाण विद्वा लय, विद्यालय बा ऐसी संस्था के यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी, से चरित्र प्रमाण पत्र ग्रीर दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके पत्र ग्रीर दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके पत्र ज्रीर दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके विश्वविद्यालय, महा-व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों, ग्रीर उसके विश्वविद्यालय, महा-विद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।

यांवतगत जावन म उपार में सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार क प्रमाण पक्ष में उपा विद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार क प्रमाण पक्ष में उपा हरें। 5. कोई भी व्यवित सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती टारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो बोर्ड या झन्य भर्ती प्राधिकरण को प्रावेदन पत्न प्रस्तुत करने की ग्रन्तिम तिथि जायेगा जो बोर्ड या झन्य भर्ती प्राधिकरण को प्रावेदन पत्न प्रस्तुत करने की ग्रन्तिम तिथि को का उससे पहले सन्नह वर्ष से कम श्रीर पैतीस वर्ष की ग्रायु से ग्रधिक का हो ।

सेवा में पदों पर नियुक्तियां महानिदेशक द्वारा की जायेंगी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवामें किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जगतक कि बहु सीभ्री भर्ती की दशामें इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीभ्री भर्ती से ग्रन्यवा नियुक्ति की दशामें पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित बोग्बताएं तवा ग्रनुभव न रवता हो :

परन्तु सीधी भर्ती ढारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी झह ताओं में बोर्ड बा किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, बदि अनुदूर्वित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग बदि अनुदूर्वित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग बद्यों जें उनके लिये आरक्षित पदों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले प्रक्यों के उनके लिये आरक्षित पदों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले इम्बीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जावेंगे।

. 8. कोई भी व्यक्ति, ---

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या ,विवाट की संविदा कर ली है ; या

(ब) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी ग्रन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेंबा में किसी पद पर नियुक्ति का पान्न नहीं होगः

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे प्रश्न पर सीय बिधि के प्रधीन ऐसा विवाह प्रमुजेय है तथा ऐसा करने के प्रन्य प्राधार भी है तो वह किसी ज्यक्ति को दम नियय के लागू होनें से छूट दे सकती है।

(ASAR. 23, 1920, SAKA)

भर्तीका ढंग।

- 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी ,---
- (क) नर्सिंग प्रधीक्षक की दशा में,---
- (i) मैट्रनों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार ग्रथावा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लग्ने कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ख) जन स्वास्थ्य नसिंगु अधिकारी की दशा में,---
- (i) ज़िला नसिंग श्रधिकारियों या जन स्वास्थ्य नसों में से बदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार ग्रथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे ग्रधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ग) प्रिंसिपल ट्यूटर की दशा में,---
- (i) सिस्टर ट्यूटरों में से पदोन्नति ब्रारा ; वा
- (ii) किसी राज्य सरकार प्रथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (घ) मैट्रन की दशा में, ---
- (i) सहायक मैट्रनों या नसिंग सिस्टरों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार ग्रथना भारत सरकार की सेवा में महले से ही बगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (ङ) जिला नसिंग ग्रधिकारी की दशा में,---
 - (i) जन स्वास्थ्य नसों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लग किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (च) सहायक मैट्रन की वशा में,---
- (i) नसिंग सिस्टरों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेचा में प्रहूजे थे ही आपें किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति ढाराः;

T

| | ~ \ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (छ) जन स्वास्थ्य नर्सु की दशा में, | |
| (७) प्रतिशत नर्सिंग सिस्टरों या स्टाफ नर्सों में से पढोन्नति द्वारा ; और (i) 50 प्रतिशत नर्सिंग सिस्टरों या स्टाफ | |
| (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या | |
| (iii) किसी राज्य सरकार ग्रथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति ढारा ; | |
| (ज) सिस्टर ट्य्टर की दशा में, , | |
| (i) 50 प्रतिशत नर्सिंग सिस्टरों या स्टाफ नर्सों में स पदीन्नात द्वारा , आर | |
| (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या | + |
| (iii) किसी राज्य सरकार ग्रथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ई लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; | ' J |
| (झ) नर्सिंग सिस्टर की दशा में, | |
| , (i) स्टाफ नसौं में से पदोन्नति द्वारा ; या | -0- |
| (ii) किसी राज्य सरकार ग्रथवा भारत सरकार की सेवा में से पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति ढारा ; | EI |
| (ड) स्टाफ नर्स की दशा में, | |
| (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या | त्री |
| (ii) किसी राज्य सरकार ग्रथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; | <u>E</u> I |
| (ट) लेडी हाऊस की पर की दशा में, | |
| (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या | - |
| (ii) किसी राज्य सरकार ग्रथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; | |
| (2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं ये के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिये कोई अ प्रदान नहीं करेगी। | |
| (3) जब सेवा में कोई रिक्ति हो ग्रथवा होने वाली हो, तो नियुक्ति प्रा (3) जब सेवा में कोई रिक्ति हो ग्रथवा होने वाली हो, तो नियुक्ति प्रा | विकारा |
| (3) जब सवा म कोइ रिपित हो जनना हुए भर्ती के ढंग का निर्धारण करेगा जिस के द्वारा ऐसी रिक्ति भरी जायेगी । | |
| | |
| | 0.5.25 |
| | |
| | |

の時代の時代になって

¥=

HARYAMA GOVI CAL JULY 14, 1095 (ASAR, 73, 1920 SAXA)

परिक्षीक्षा। 10. (1) सेत्रा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती ढारा नियुक्ति कियाया हो, तो दो वर्ष की ग्रबधि के लिये योर यदि अन्यक्षा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की ग्रबधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तू,---

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परित्रीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण ढारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य को कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि केंरूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया था हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की ग्रवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या ग्राचरण सन्तोषजनकन रहा हो तो वह,---

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भतीं द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाग्रों से ग्रलग कर सकता है ; ग्रौर
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भतीं से ग्रन्थथा नियुक्त किया गया हो तो,---
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सक्षता है; या
- (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवन्धन और शर्ते अनुज्ञात करे।
- (3) किसी व्वक्ति की परिवीक्षा ग्रवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,---
 - (क) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक रहा हो तो,---
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (ii) ऐसे व्यक्तिको यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

- HARYANA GOVT GAZ. JULY 14, 1998 (ASAR. 23, 1920 SAKA)
- (iii) यदि कोई स्थायी रिक्तिन हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंगसे पूरी कर ली है; या
- (ख) यदि उसका कार्य या ग्राचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,---
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से ग्रलग कर सकता, यदि ग्रयथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्वं पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी ग्रन्थ रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा गतौं ग्रनुज्ञात करें; या
- (ii) उसकी परिवीक्षा ग्रावधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे ग्रादेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम ग्रावधि की समाण्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई है ब्रामिल है,तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संबर्ग हों, वहां ज्येष्ठना प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग अलग निश्चित की जायगी :

परन्तु यह ग्रौर किसीधी भर्ती ढारा नियुक्त सदस्यों की देशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड ग्रथवा किसी ग्रन्य भर्ती प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, ढारा निश्चित योग्यता क्रम भग नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह ग्रौर कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से श्रधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निल्नानुसार निष्चित की जाएगी :--

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठत। होगा ;
- (ख) पटोन्नति दारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण हारा नियुक्त सदस्य से ज्योब्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति ढारा ग्रथवा स्थानान्तरण ढारा वियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार तिक्रियत की जायेगी, जिनसे पदोन्नत या रथानान्तरित किये गर्थ थे; ग्रौर

2103

ज्येष्ठता ।

> (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे से सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व ।

2104

12. (i) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी ढारा हरियाणा राज्य में या उनके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये, यादेश दिये जाने पर, ऐसा करने का दायी होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जासकता है:---

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यप्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या ग्रधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण हरियाणा राज्य के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ; या
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे बह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :
- परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) ग्रथवा खण्ड (iii) में निदिष्ट केन्द्रीय या किसी ग्रन्थ राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा ग्रन्य मामले । 13. बेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपवन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य संविधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके पश्चात् अपनाये या बनाये जाएं।

श्रनुशासन, शास्तियां तथा श्रपीलें। 14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय---समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंद्रित होंगे :

GAZ., JULY 14, 1998 HARYANA GOVT 1920 SAKA) (ASAR. 23,

परन्तु ऐसी शक्तियों का स्वरूप, जो लंगाई जा सकती है, ऐसी शक्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छे 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के झधीन रहते हुये वे होंगे जो परिशिष्ट गमें विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (i) के खण्ड (ग) या खण्ड (ध) के ग्रधीन ग्रादेश करने के लिये सणक्त प्राधिकारी तथा ग्रपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में बिनिर्दिष्ट है ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा टीका लगवाना । ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

16. सेवा के त्येक सदस्य से जब तक उसने पहले से ही भारत के प्रति तथा राजनिष्ठा की विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, शपथ । ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की 17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना ग्रावश्यक शक्तियां । या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्गके बारे में ऐसा कर सकती है।

18. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा समय-समय ग्रारक्षण । पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुाूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तता व्यक्तियों के किसी वर्गया प्रवर्गको दिए जाने के लिए अवेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रिजायतों को प्रभावित नहीं करेगी ;

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित सनझे तो वह ऐसा कर सकता 吉一

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से जिसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके ढारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के स्रधीन किया गया कोई म्रादेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

विशेष उपबन्ध ।

निरसन तथा व्यावृति ।

2106

.

to manufacture

HARYANA GOVT - GAZ., JULY 14, 1998 (ASAR. 23, 1920 SAKA)

परिशिष्ट क

 $\dot{\phi}$

(देखिये नियम 3)

| क्रम संख्या | पदनाम | पदों की संख्या | | π | वेतनमान | |
|----------------|----------------------------------------|-------------------|------|------|------------------------------------------------|--|
| ल ख्य । | а. - | स्थाई ग्रस्थाई जे | | जोड़ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | नसिंग ग्रधीक्षक | , . | 1 | 1 | 2000-60-2300-75-2900-द० रो०-100- 3500 रुपये | |
| 2 | जन स् वा स्थ्य नसिंग अधिकारी | | 2 | 2 | 2000-60-2300-75-2900-द० रो०-100- 3500 द्वये | |
| 3 | प्रिसिपल टयूटर | | 11 | 11 | 2000-50-2300-75-2900-द० गौ०-100- 3500 ह्वये | |
| 4 | मैट्रन | · | 15 | 15 | 2000-60-2300-द० रो०-75-3200 रुपये | |
| 5 | जिला नसिंग अधिवारी | - | 2 | .2 | 1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुपये | |
| 6 | सहायक मैट्रन | · | 4 | 4 | 1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुपये | |
| 7 | जन स्वास्थ्य नर्स | | 117 | 117 | 1640-60-2600-द० रो०-75-2900 कपये | |
| 8 | सिस्टर <i>ट्</i> यूटर _, | - | 28 | 28 | 1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुपये | |
| 9 | र्नासग सिस्टर | 18 | 222 | 240 | 1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुप ये | |
| 10 | स्टाफ नर्स | 130 | 1520 | 1650 | 1400-40-1600-50-2300-द० रो०-60- 2600 रुपये | |
| 11 | लेडी हाऊस कोपर | | 13 | 13 | 950-20-1150-द० रो०-25-1500 रुपये | |

ारिशिष्ट ख

(देखिए नियम-7) सीधी भर्ती से अन्मथा नियुक्ति सीवी गर्नी के लिए शैक्षणिक पहुंताएं पदनाम के निए ग्रैकणिक प्रहेताएं और अनुभव, 常用 प्रौर प्र रुभव, यदि कोई हो संख्या यदि कोई हो 4 3 2 1 (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्व-नसिंग ग्रधीक्षक विधालय से बी०एस०सी०(आनज)नसिंग 1 या बी०एस०सी० (पोस्ट बेसिक) नर्सिंग या मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ सामान्य नसिंग में डिप्लोमा; (ii) मैट्रन के रूप में पांच वर्थ का ग्रनुभव; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स; मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। (iv) मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्व-किसी (i) विधालय से नसिंग शिक्षा एवं प्रशासन में जन स्वास्थ्य 2 नसिंग ग्रधिकारी डिप्लोमा, या जन स्वास्थ्य नर्सं का डिप्लोमा; जिला नसिंग ग्रधिकारी/जन स्वास्थ्य (ii) नर्स के रूप में कुल तीन वर्ष का ग्रनुभव; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नर्सिज रजिस्टेशन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्सं मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। (iv)(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्व-3 प्रिंसिपल टयूटर विधालय से बी०एस०सी०(आनर्ज) नर्सिग या बी०एस०सी०(पोस्ट बेसिक) नसिंग या नसिंग शिक्षा एवं प्रशासन में हिल्लोमा

| (ii) सिस्टर ट्य्टर के रूप में पांच का अनुभव; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के द हरियाणा नसिज राजस्ट्रे कोंसिल से ए थेणी से राजिस्टर्ड नसें (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का झान 4 मैट्रन (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्य विषवविद्यालय से वी० एस० स (प्राप्त) नसिंग या वी० एस० स (प्राप्त) नसिंग या वी० एस० स (प्राप्त) नसिंग या वी० एस० स् (ii) सहायक मैट्रन के रूप में वो का प्रनुभव रा नसिंग मिस्टर रूप में सात वर्ष का प्रमुभव; (iii) सहायक मैट्रन के रूप में वो का प्रनुभव रा नसिंग सिस्टर रूप में सात वर्ष का प्रमुभव; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के सा हरियाणा नसिंज राजिस्ट्रें नसें; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का झान। 5 जिला नसिंग प्रशिक्तरी (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विषवविद्यालय से नसिंग थिक्षा एवं प्रशासन में डिल्लोमा; या जन स्वास्थ्य नसें के रूप में दो वर्ष का प्रनुभव ; (ii) जन स्वास्थ्य नसें के रूप में दो वर्ष का प्रनुभव ; (iii) सिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नसिज राजिस्ट्रेंशन कोंसिल हरियाणा नसिज राजिस्ट्रेंशन कोंसिल का प्रमुभव ; | (ii) सिस्टर ट्यूटर के रूप में पांच का व्यपुषव; (iii) मिडवाईफ प्रविक्षण के हरियाणा नसिज रजिस्ट्रे कौसिल से ए श्रेणी से रजिस्टर्ड नसं (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का आन (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्य विश्वविद्यालय से बी० एस० स (धानजे) नसिंग या बी० एस० स (धानजे) नसिंग या बी० एस० स् (धान्द्र) नसिक) नसिंग मिडवाईफ प्रविक्षण के साथ सास नसिंग में डिप्लोमा; (ii) सहायक मैट्रम के रूप में दी का व्यनुभव या नसिंग सिस्टर रूप में सात वर्ष का प्रमुभव; (iii) सहायक मैट्रम के रूप में दी का व्यनुभव या नसिंग सिस्टर रूप में सात वर्ष का प्रमुभव; (iii) मिडवाईफ प्रविक्षण के स हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेशन कौरि से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नसं; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का जान । विश्वविद्यालय से नसिंग विश्वा पृत्व प्रयासन में डिप्लोमा; या जन स्वास्थ्य नसे का डिप्लोमा; (ii) जन स्वास्थ्य नसे के डिप्लोमा; (iii) जन स्वास्थ्य नसे के डिप्लोमा के सी वर्ष का प्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रविक्षण के सा | 1 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हरियाणा नसिज रजिस्ट्रें कौसिल से ए श्रेणी से रजिस्टर्ड नर्स (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का झान 4 मैट्रन (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थ विश्वविद्यालय से बी० एस० स (प्रान्जे) नसिंग या बी० एस० स (प्रान्जे) नसिंग या बी० एस० स् (प्रार्ट्य बेसिक) नसिंग मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ साम नसिंग में डिप्लोमा ; (ii) सहायक मैट्रन के रूप में दो का झनुभव या नसिंग सिस्टर रूप में सात वर्ष का प्रमुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के सा हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेंगन कौसि से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का झान । (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था चिथ्वविद्यालय से नसिंग घिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा ; (ii) जन स्वास्थ्य नर्स के रूप में यो वर्ष का छनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेंशन कौसिल | हरियाणा नसिज रजिस्ट्रे कोसिल से ए श्रेणी से रजिस्टर्ड नसं (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का जान 4 मैट्रन (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थ विषवविद्यालय से बी० एस० स् (ग्रानर्ज) नसिंग या बी० एस० स् (ग्रान्ड) नसिंग के रूप में बी का बनुभव या नसिंग सिस्टर रूप में सात वर्ष का अनुभव ; (ii) सडवाइर्फ प्रशिक्षण के स हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेंगन कौसिंग प्रथावीवद्यालय से नसिंग जिस्ता प्रवाह्य नसे के रूप में बी वर्ष का ज्रनुभव ; (ii) जन स्वास्थ्य नसे के रूप में बी वर्ष का ज्रनुभव ; (iii) मिडवाई्फ प्रशिक्षण के सा हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेंगन कौसिंग | | | (ii) सिस्टरट्यूटर के रूप में पांच व का ग्रनुभव ; |
| 4 मैट्रन (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थ विषवविद्यालय से बी० एस० सं (ध्रानजें) नींसग या वी० एस० सं (ध्रानजें) नींसग या वी० एस० सं (धोस्ट बेंसिक) नींसग मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ साम नसिंग में डिप्लोमा ; (ii) सहायक मैट्रन के रूप में वो का प्रनुभव या नींसग सिंस्टर रूप में सात वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) सहायक मैट्रन के रूप में वो का प्रनुभव या नींसग सिंस्टर रूप में सात वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के सा हरियाणा नींसज रजिस्ट्रेशन कौंसि से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । 5 जिला नसिंग ग्रविकारी (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था दिखविद्यालय से नॉसिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स के डिप्ल में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (ii) जन स्वास्थ्य नर्स के रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नॉसज रजिस्ट्रेशन कौंसिल | 4 मैट्रन (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थ विषवविद्यालय से बी० एस० स (ग्रानजें) नसिंग या बी० एस० स (ग्रानजें) नसिंग या बी० एस० स (प्रीस्ट बेसिक) नसिंग मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ साम नसिंग में डिप्लोमा ; (ii) सहायक मैट्रन के रूप में दो का अनुभव या नसिंग सिस्टर रूप में सात वर्ष का प्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के स हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेशन कौंसि से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का झान । प्रिव्यविद्यालय से नॉसिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन्त स्वास्थ्य नर्स के रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (ii) जन स्वास्थ्य नर्स के रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेशन कौंसिल | | 1 | (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के सा हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी से रजिस्टर्ड नर्स; |
| विषवविद्यालय से बी० एस० सं (ग्रान्जॅ) नसिंग या बी० एस० स् (पोस्ट बेसिक) नॉराग मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ साम नसिंग में डिप्लोमा ; (ii) सहायक मैट्रेन के रूप में दो क का ग्रनुभव या नसिंग सिस्टर रूप में सात वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के सा हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेशन कौंसि से ए श्रेणी में रजिस्ट इंनरीं का ज्ञान । (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विषवविद्यालय से नसिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नसैं को डिप्लोमा ; (ii) जन स्वास्थ्य नसैं के रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेशन कौंसिल | विषवविद्यालय से बी० एस० स (ग्रानर्ज) नॉसग या वी० एस० अ (पोस्ट बेसिक) नॉसिंग मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ साम नॉसेंग में डिप्लोमा; (ii) सहायक मैट्रेन के रूप में दो का ग्रनुभव या नसिंग सिस्टर रूप में सात वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के स हरियाणा नॉसंज र्राजस्ट्रेशन कॉसिं से ए श्रेणी में रजिस्टा इन्सी का झान । (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था एवं प्रशासन में डिप्लोमा; या जन स्वास्थ्य नसैं का डिप्लोमा; (ii) जन स्वास्थ्य नसैं के रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के सा हरियाणा नॉसज रजिस्ट्रेशन कौसिंग | | | (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । |
| का ग्रनुभव या नसिंग सिस्टर रूप में सात वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के सा हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेशन कौंसि से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से नसिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स को डिप्लोमा ; (ii) जन स्वास्थ्य नर्स के रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेशन कौंसिल | का ग्रनुभव या नसिंग सिस्टर रूप में सात वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के स हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेशन कौंसि से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से नसिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स को डिप्लोमा ; (ii) जन स्वास्थ्य नर्स के रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेशन कौंसिर | 4 मैंट्रन | | विश्वविद्यालय से बी० एस० सी (ग्रानर्ज) नॉसेंग या बी० एस० सी (पोस्ट बेसिक) नर्सिंग य मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ सामान |
| हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेशन कौंसि से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । 5 जिला नसिंग ग्रधिकारी पवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स को डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स को रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल | हरियाणा नर्सिज रजिस्ट्रेशन कौंसि से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ; (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स को डिप्लोमा ; (ii) जन स्वास्थ्य नर्स के रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; हरियाणा नर्सिज रजिस्ट्रेशन कौंसिर | | a: | |
| 5 जिला नसिंग (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विद्यवविद्यालय से नसिंग शिक्षा प्रदेशिकारी ग्रधिकारी एवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स का डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स का डिप्लोमा ; (ii) जन स्वास्थ्य नर्स के रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेशन कौंसिल् | 5 जिला नसिंग (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था ग्रशिकारी विषवविद्यालय से नसिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या एवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स का डिप्लोमा ; (ii) जन स्वास्थ्य नर्स को रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेशन कौसिर | | | हरियाणा नर्सिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल |
| विद्यविद्यालय से नर्सिंग शिक्षा प्रवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स को डिप्लोमा ; (ii) जन स्वास्थ्य नर्स को रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नर्सिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल | विद्यविद्यालय से नसिंग शिक्षा प्रवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स का डिप्लोमा ; (ii) जन स्वास्थ्य नर्स के रूप में दो वर्ष का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेशन कौंसिर | | | (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । |
| वर्षं का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल | वर्षं का ग्रनुभव ; (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के सा हरियाणा नर्सिज रजिस्ट्रेशन कौंसिर | | * | विक्वविद्यालय से नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या |
| हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल | हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेशन कौंसिय | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| स एश्रणाम राजस्टड नस ; | | | | हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल |

+ 2. a. m.

1

24 .

| 1 2 | 3 | 4 V |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | | (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । |
| सहायक मैट्रन | | (i) विसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बी० एस० सी० (ग्रार्नज) नर्सिग या बी० एस० सी० |
| | | (पोस्ट बेंसिक) नसिंग या मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ सामान्य नसिंग में डिप्लोमा ; |
| | | (ii) नर्सिंग सिस्टर के रूप में पांच वर्ष का म्रनुभव ; |
| | | (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा र्नासज रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी में र जिस्टर्ड नर्स; |
| | | (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । |
| ७ जन स्वास्थ्य नर्स | (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से नर्सिंग शिक्षा ए प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वारक्ष्य नर्स का डिप्लोमा'; | व विश्वविद्यालय संगासन रिस्ता ; प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स का डिप्लोमा ; |
| | (ii) नसिंग सिस्टर के रूप में पांच वर्ष का ग्रनुभव या स्टाफ नर्स के रूप में 10 वर्ष का ग्रनुभव ; | (ii) नसिंग सिस्टर के रूप में पांच वर्ष का ग्रनुभव ; या स्टाफ नर्स के रूप में 10 वर्ष का ग्रनुभव ; |
| | (ijii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ इरियाणा नसिंज रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ; | हारयाणा नासज राजस्ट्रका नतायस |
| | (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । | (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । |
| सिस्टर ट्यूटर | (i) किसी मॉग्ग्यता प्राप्त संस्थ विश्वविद्यालय से ब्री० एस० स | ान/ (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ ो॰ • विश्वविद्यालय सेबी०एस० सी० |
| | - | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 8.44 | |

0

.

3

2109

C

2110

HARYANA GOVI GAZ. JULY 14, 1998 (ASAR. 23, 1920 SAKA)

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 14 | (ग्रानर्ज) नर्सिंग या बी० एस० | सी० (ग्रानर्थ) जन्मित्र न |
| | | | | | सी० (पोस्ट बेसिक) नसिंग ; | या सी० (प्रोम्न चेलिक) |
| | | | | | नसिंग शिक्षाएवं प्रशासन में डिप्लोमा ; | नसिंग शिक्षा एवं प्रशासन |
| | | | | | | डिप्लोमा ; |
| | | | | | (ii) नसिंग सिस्टर के रूप में वा वर्ष का श्रनुभव या स्टाफ नर्स व रूप में दस वर्ष का श्रनुभव ; | च (ii) नसिंग सिस्टर के रूप में पां के वर्षका क्रानुभव या स्टाफ नर्स रूप में दस वर्षका क्रानुभव; |
| | | | | | (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ | (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के माध |
| | 81 | | , c | | हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ; | हरियाणा नसिज रजिस्ट्रेणन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स; |
| | 10. 10 | | | | (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का | (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । |
| | | | | - 6 | ज्ञान । | () गंद्रा (((क) हिन्दा को ज्ञान) |
| | | | ७ नास | ग सिस्टर | | (i) किसी मान्वता प्राप्त संस्थान/ |
| -1 | | | | | | विश्वविद्यालय से बी० एस० सी० |
| in 1 € 1 | | | | | | (ग्रानर्ज) नसिंग या बी०एस०सी० |
| | | | | | | (पोस्ट बेसिक) नसिंग या मिडवाईफ प्रशिक्षण को जनव |
| | | | | | 1 "- | प्रशिक्षण के साथ सामान्य नर्सिंग में डिप्लोमा ; |
| | | 2 | | | | (ii) स्टाफ नर्स के रूप में पांच वर्ष का ग्रनुभव ; |
| | | | | | - (| (iii) मिडवाईफ प्रशिक्षण के साथ |
| | | | | | | हरियाणा नर्सिज रजिन्देशन कौंसिल |
| 21 | | | | | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स; |
| | × / | / | | | | (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । |
| | | 10 | ['] स्टाफ न | ર્સ | (i) किसी मान्वता प्राप्त संस्थान/ , (i | i) किसी मान्यता त्राप्त संस्थान/ |
| | | | | | जिर्यापचालय संबाठ एस० साठ | विश्वविद्यालय से बी० एस० सी० |
| - 1 | | 80 | | | (आगज) नासग था बाठ एस० साठ | (म्रानर्ज) नसिंग या बी॰ एस॰ सी॰ |
| | | 1 | 24 | | (गरद बातक) नासगया मिड- (| (पोस्ट बेसिक) नसिंग या मिड- |
| | - | | | | | गईफ प्रशिक्षण के साथ सामान्य नरिंगमें डिप्लोमा ; |
| | | | | | | and the second se |
| | | r | | | | |
| e - (- ((| | | | | | |
| | ~ | | | | | |
| ÷ 1 | | | 1. | Фт | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | and the second | |

1

| 1 | 2 | | 3 | | 1 | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | हरिय | वाईक प्रशिक्षण के साथ ाणा नसिंज २जिस्ट्रेशन ल से ए श्रेणी में र जिस्टर्ड | हरिय | ईफ प्रष्टिकण ।णा नर्सिज ।से ए श्रेणी से | के साथ ४जिस्ट्रशन रजिस्टर्ड |
| | | (iii) मैट्रि | कस्तर तकहिन्दी का ज्ञान । | (iii) मैट्रिक ज्ञान् | | हिन्दी का |
| 11 | लेडी हाऊस कीपर | (i) किसी | । मान्थता प्राप्त संस्थान/) — 2 या इस के समकक्ष ; | से 10- | ो मान्यता प्राप्त + 2 या इसके सम | मकक्ष ; |
| | 2 20 | ज्ञान | 54 (A.S. 1997) | ज्ञान ; | क स्तर तक | |
| | 1 | (iii) गृह को | विज्ञान डिप्लोमा धारकों प्राथमिकता दी जायेगी । | (iii) गृह जि को प्र | वज्ञान डिप्लोमा ाथमिकता दी ज | धारकों ायेगी । |
| | ē. | 2 | परिशिष्ट−-ग [(देखिए नियम (1 | | | |
| | | | | | | - |
| | पदनाम | नियुक्ति प्राधिकारी | शास्ति का स्व | गरूप | शास्ति लाने कॅलिये सक्षम प्राधिकारी | ग्रपील प्राधिकार |
| | पदनाम 2 | | 2.000000000000000000000000000000000000 | ररूप 4 | के लिये सक्षम | |
| संख्या | 20002742-00 2 | प्राधिकारी 3 | 2.000000000000000000000000000000000000 | | कॅ लिये सक्षम प्राधिकारी | प्राधिकार्र |
| | 2 | प्राधिकारी 3 | | 4 प्राचरण पंजी) | के लिये सक्षम प्राधिकारी 5 | प्राधिकार 6 |
| संख्या <u>1</u> 1 | 2 नसिंग ग्रधीक्षक जन स्वास्थ्य | प्राधिकारी 3 | 1. छोटी शास्तियां (i) वैयक्तिक फाईल (क्र | 4 प्राचरण पंजी) | के लिये सक्षम प्राधिकारी 5 | प्राधिकार 6 |
| संख्या 1 1 2 | 2 नर्सिग ग्रधीक्षक जन स्वास्थ्य नर्सिग ग्रधिकारी | प्राधिकारी 3 | छोटी शास्तियां वैयक्तिक फाईल (क्ये पर प्रति रखते हुये (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकन | 4 प्राचरण पंजी) वे चेतावनी ; ा; | के लिये सक्षम प्राधिकारी 5 | प्राधिकार 6 |
| संख्या 1 2 3 | 2 नसिंग ग्रधीक्षक जन स्वास्थ्य नसिंग ग्रधिकारी प्रिसिपल ट्यूटर | प्राधिकारी 3 | छोटी शास्तियां वैयक्तिक फाईल (क्र पर प्रति रखते हुर्य (ii) परिनिन्दा ; | 4 प्राचरण पंजी) पेचेतावनी ; ा; ाया उल्लंघन | के लिये सक्षम प्राधिकारी 5 | प्राधिकार 6 |
| संख्या 1 2 3 4 | 2 नर्सिग ग्रधीक्षक जन स्वास्थ्य नसिंग ग्रधिकारी प्रिसिपल ट्यूटर मैट्रन जिला नर्सिग | प्राधिकारी 3 | 1. छोटी शास्तियां (i) वैयक्तिक फाईल (i) पर प्रति रखते हुरं (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकन (iv) ग्रादेशों की उपेक्ष | 4 प्राचरण पंजी) ये चेतावनी ; ाया उल्लंघन तार या या | के लिये सक्षम प्राधिकारी 5 | प्राधिकार्र 6 |

C. A. L.

· with the the

 等者

2111

ŝ

2112

÷...

1.24 LANS

10.00

| | 1 2 | - | |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £3 | * **** | 3 | 4 |
| | | नहीं, जिसका पूर्णया ग्रधिकांश | |
| | 8 सिस्टर ट्यूटर | स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के | |
| ğ a | 9 नर्सिंग सिस्टर | पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम ढारा स्थापित | |
| | 10 स्टाफ नर्स | किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी | |
| | 11 लेडी हाउस कीपर | हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ; | |
| | | (v) संचयी प्रभाव के बिना बेतन वृद्धियां रोकना; | |
| | | 2. बड़ी शास्तियां | |
| | | (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ; | |
| | | (vii) किसी विनिर्दिष्ट ग्रवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम | |
| ¥. | 8 | पर स्रवनति ऐसे स्रतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी स्रवनति की स्रवधि के दौरान वेतन स्रॉजत करे या नहीं और क्या ऐसी स्रवधि की समाप्ति पर ऐसी स्रवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; | 63 |
| | | (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड अथवा पद या सेवा | |
| | | पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्म– चारी अवनत किया गया था, उस | |
| | | | |
| 5. | , | | and the second se |
| | | | |

の時代である。ためになった。

3

| 1 | 2 | 3 | 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - | 4 |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | · · · | पर बहाली सम्बन्धी और उसकी | | |
| | | ज्ये ध्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा | | |
| | Ē. | पर वेतन के बार में शर्तों सम्बन्धी | | |
| 1.43 | | ग्रतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके | | |
| | | बिना होगा ; | | |
| | | (ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति; | | |
| | | (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार | | |
| 22 | | के ग्रधीन भावी नियोजन के लिये | | |
| | | निरई ता नहीं होगी ; | | |
| | | (xi) सेवा से पदच्यूति , जो सरकार के | | |
| | | ग्रधीन भावी नियोजन के लिये | | 1,5 |
| 20 | | सामान्यतः निरईता होगी। | | |
| | | परिशिष्ट घ | | |
| | | [(देखिए नियम (14) (2)] | | |
| | पदनाम | म्रादेश का स्वरूप | ग्रादेश देने | ग्रपील |
| ऋम संख्या] | 44114 | | के लिये सशक्त | प्राधिकारी |
| 21 4 11] | | | प्राधिकारी | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | नसिंग ग्रधीक्षक | (i) पैशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के | महानिदेशक | सरकार |
| 0.255 | | ग्रधीन उसे ग्रनुज्ञेय सामान्य/ग्रतिरिक्त पैंशन | | |
| 2 | जन स्वास्थ्य नसिग | की राशि में कमी करना या रोकना; | | |
| | ग्रधिकारी | | | |
| 3 | प्रिसिपल ट्यूटर | (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के | | |
| | | होने से पूर्व ग्रन्यथा, नियुक्ति की समाप्ति । | | |
| 4 | मैट्रन | | | 2 |
| 5 | जिला नसिंग ग्रधिकारी | | | |
| 6 | सहायक मैंट्रन | | | |
| 7 | जन स्वास्थ्य नर्स | ×. | | |
| 8 | सिस्टर ट्यूटर | | | |
| 9 | गसिंग सिस्टर | | | |
| 10 | स्टाफ नर्स | | | |
| 11 | लेडी हाऊस कीपर | · · · · | | |
| | | | बीना ईगलटन | |
| | | | | |
| | | वित्तायुक्त ए | वं सचिव, हरिया स्वास्थ्य विभाग | |

2113

• 1

1.1

5

.



(Authorised English translation

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 4th February, 1998

No. G.S.R 71./Const./Art.309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Health Department, Nursing Personnel, and Lady House Keepers (Group C) Service, namely :—

PART I-GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Health Department, Nursing Personnel, and Lady House Keepers (Group C) Service Rules, 1998.

Definitions.

Short title.

2114

2. In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Board' means the Subordinate Services Selections Board;
- (b) "Director General" means the Director General Health Services, Haryana ;
- (c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of any official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (e) "institution " means,-
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;
- (f) "recognised University" means,-
 - (i) any university incorporated by law in India ; or
 - (ii) in the case of a degree, diploma or certilicate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947 the Punjab, Sind or Dacca University; or

- (iii) any other University which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules;
- (g) "Service" means the Haryana Health Department Nursing Personnel and Lady Keepors (Group C) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,-

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the First day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Burma, Sri Lanka or any of the East African of Kenya, Unganda, the United Republic of (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanenty settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c) (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person, in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him, by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless she produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being her relatives, who are well acquainted with her in her private life and are unconnected with her university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is les than seventeen years or more than

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

Number and character of posts

GAZ., JULY 14, 1998 HARYANA GOVT (ASAR. 23, 1920 SAKA)

thirty-five years of age, on or before the last date of submission of to the Board. application

Appointing authority.

post in the Sorvice shall be made by the 6. Appointment to any Director General.

Oualifications

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless she is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment.

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board in case sufficient number candidates belonging to Scheduled Caste, Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite not available to fill up the vacancies reserved for them after recording resaons for so doing in writing. experience, are

Disgualification.

8. No person,---

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted
 - a marriage with any person;

Service : shall be eligible for appointment to any post in the

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing,

exempt any person from the operation of this rule.

Mode of recruitment. 9. (1) Recruitment to the Service shall be made--

(i) in the case of the Nursing Superintendent,-

(a) by promotion from amongst Matrons; or

(b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the 1.10

(ii) In the case of Public Health Nursing Officer,-

(a) by promotion from amongst District Nursing Officers or

Public Health Nurses ; or

(b) by transfer of deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(iii) in the case of Principal Tutor :--

(a) by promotion from amongst Sister Tutor; or

(b) by transfer or deputatio of an official already in the service of any State Government or the Government of India

- (iv) in the case of Matron,-
 - (a) by promotion from amongst Assistant Matrons or sisters ; or
 - (b) by transfer or deputation of an official already in the service any State Government or the Government of India;

(v) in the case of District Nursing Officer,-

(a) by promotion from amongst Public Health Nurses, or

 (b) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

(vi) In the case of Assistant Matron,-

- (a) by promotion from amongst Nursing Sisters ; or
- (b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (vii) In the case of Public Health Nurse,-
 - (a) 50% by promotion from amongst Nursing Sisters or Staff Nurses; and
 - (b) 50% by direct recruitment, or
 - (c) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(viii) In the case of Sister Tutor,-

(a) 50% by promotion from amongst Nursing Sisters or Staff Nurses ; and

(b) 50% by direct recruitment; or

- (c) by transfer or deputation of an official already in the service of the Government of India of any State Government;
- (ix) In the case of Nursing Sister ,--

「「「「「「」」」」」

- (a) by promotion from amongst Staff Nurses ; or
- (b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(x) In the case of Staff Nurse,-

(a) by direct recruitment ; or

(b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government of the Government of India;

(xi) In the case of Lady House Keeper,-

(a) by direct recruitment; or

(b) by transfer or deputation of an official already in the serivce of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit/fitness basis and seniority alone shall not confer any right to such p.omotions.

(3) As and when any vacancy occur or is about to occur, unless otherwise provided, the appointing authority shall determine the made by which the same shall be filled in

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year if appointed otherwise:

Provided that-

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ; and
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rules; and
- (c) any pe iod of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but not pe son who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not stisfactory, a if

may,-

(a) if such person is appointed by direct recruitment dispe ; with her services; and

(b) if such person appointed otherwise than by direct recruitment :-

(i) revert her to her former posts ; or

Probation

(ii) deal with her in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-

- (i) confirm such person from the date of her appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
- (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
- (iii) declare that she has completed her probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
- (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,-
 - (i) dispense with his Service, if appointed by direct rectruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit; or
 - (ii) extend her period of probation and thereafte: pass such order as it could have passed on the expi y of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension if any, shall not exceed three years.

Soniority.

11. Seniority, inter se of members of the Service shall be determind by the length of continous Service on any post in the Service:

Provided that where there are different caders in the Service, the seniority shall be determined separately for such cadre :

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:—

(a) a mbmer appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a memembe appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of a member appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in her previous appointment, and it the rate of pay drawn are also the same, than by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under-

 (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university with in the State of Haryana;

- (ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is whethy or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Gove.nment or any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

14. (1) In the matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

Liability to serve.

Pay, Loav., Pension and Other matters.

Discipline, penalties and appeals,.

A CONTRACTOR OF STREET

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent at any time.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed;

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules. Vaccination.

Oath of all giance.

Power of relaxation.

3

A

:e

Special Provisions.

Reservations.

Repeal and Savings.

APPENDIX A

(See rule 3)

| | r. Designa No. | tion of posts | Numb | er of Pos | sts | Scale of pay (in Rupees) |
|-----------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | Perma- nent | Tempo rary | - Tota | |
| 1 | | 2 | 3 | .4 | 5 | 6 |
| 45. 47 | 1 Nursing | Superintendent | - <u>, -, -, -, -, -</u> , -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, | 1 | 1 | 2000—60—2300—75—2900— EB—100—3500 |
| 1 | 2 Public He Officer | ealth Nursing | | 2 | 2 | 2000-60-2300-75-2900- EB-100-3500 |
| 3 | B Principal | Futor | • | 11 | 11 _ : | 2000—60—2300—75—2900— EB—100—3500 |
| 4 | Matron | | | 15 | 15 - 2 | 2000—60—2300—EB—75— 3200 |
| 5 | District N | ursing Officer | | 2 | 2 | 1640—60—2600—EB—75— 2900 |
| 6 | Assistant N | latron | 2. 2. | 4 | 4 1 | 640—60—2600—EB—75— 2900 |
| 7 | Public Heal | th Nurse | •• | 117 | 117 1 | 640—60—2600—EB—75— 2900 |
| 8 | Sister Tutor | | - | 28 | 28 16 | 40—60—2600—EB—75— 2900 |
| 9 | Nursing Sis | ter | 18 | 222 | 240 1 2 | 1640—60—2600—EB—75— 2900 |
| 0 | Staff Nurse | | 130 1 | 520 | 1650 14 I | 00—40—1600—50—2300 EB—60 2600 |
| L | Lady House | Keeper | ·•• , | 13 | | 0-20-1150-EB-25-1500 |

APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. Designation of No. posts Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment Academic qua experience, if ment other recruitment

Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment

| 1 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Nursing Superin- tendent | | (i) B.Sc (Hons) Nursing or B.Sc (post Basic) Nursing; OR Diploma in General Nursing with Midwife Training from a recognised Institute/ University; |
| к ¹¹ г 1 | 5 | (ii) Five Years experience as Matron ; |
| | | (iii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Regis tration Council; |
| | | (iv) Hindi upto Matric standard ; |
| 2 Public Health Nursing Officer | | (i) Diploma in Nursing Education and Administra- tion ; OR |
| | | Diploma in Public Healt Nurse from a recognised Institute/University; |
| | | (ii) Total three years experience as District Nursing Office or Public Health Nurse; |
| | | (iii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Regis- tration Council; |
| | | |
| n n | | |

| 2118 | 2124 HAF | AYANA GOVT GA (ASAR 23, 19) | Z., JULY . 1998 20 SAKA) | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | 1 2 | 3 | | |
| | | | (iv) n. idi upto Matric' standard : | |
| | \int_{3} Principal Tutor | | (i) B. Sc (Hons) Nursing or B. Sc (post Basic) Nursing : | |
| Sr. Desigr No. | × | · · · | OR Diploma in Nursing Educa- tion and Administration from a recognised Institute/ University; | · 5 A |
| | | × | (ii) Five years experience as Sister Tutor; | . , |
| 1 | | ж. э. | (iii) A division Nurse (with Midwife training) registered with Haryana Nurses Regis- tration Council'; | |
| 1 Nur 2 Pul | and the second | | (iv) Hindi upto Matric stan- dard ; | |
| 2 Pul Ol | 4 Matron | 1 | (i) B. Sc. (Hons) Nursing or B. Sc (post Basic) Nursing ; | |
| 3 Pri | | | Or Diploma in General Nursing with Midwife Training from a recognised Institute/ | 7 |
| 4 M | | 8 F . | University; | 1 |
| 5 L | , | | (ii) Two years experience is nor seven Assistant Matron; or seven years experience as Nursing sister; | |
| 6 / | | е. (т) | (iii) A division Nurse (with Midwife training) registered with Haryana Nurses | |
| 7 | 1 | ε. | (iv) Hindi upto Matric stan- dard; | |
| 8 | 5 District Nursing | | (i) Diploma in Nursing Education and Administra- | |
| 10 | | ų. | tion; OR Diploma in Public Health Nurse from a recognised Institute/University; | |
| 1 | | * | | ÷., |
| | ά. | | | |

a para la cara da la cara da c

.

| 1 | i. | | HYANA GOVT (ASAR 23, | GAZ., JULY 1320 SAKA | 14, 1998 2125 |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | - | | | 4 |
| | 1 | 2 | 3 | (ii) Tv | vo years experience Public Health Nurse; |
| [atric" | | | ai** * } | as (iii) A N | A division Nurse (with Midwife training) registered |
| sing or trsing ; | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 8 | s | Hindi upto Matric |
| g Educa- tion from tute/ | | | | . * | standard ; B. Sc. (Hons) Nursing or B. Sc (Post Basic) Nursing ; |
| ience as | 6 | 6 Assistant Matron. | | | B. Sc (Post Larry) OR Diploma in General Pursing with Midwife Training from a recognised Institute/ |
| e (with registered les Regis- | | 4 | 8 | (ii) | University; Five years experience as Nursing sister; |
| atric stan- | 1 K. | | | | A division Nurse (with Midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council; |
| Nursing or Nursing ; | | | 100 (18) 14 | | (iv) Hindi upto Matric stan- |
| ral Nursing aining from tute/ perience as in ; or seven | | 7 Public Health Nurse. | | ministration; OR Public Health a recogniseed | dard; i) Diploma in Nursing Education and Adminis- tration; OR Diploma in Public Health Nurse from a recognised Institute/University |
| as Nursing (urse (with) registered urses ncil; | 12 | | (ii) Five years e Nusing Sist Ten years e Nurse; | experience as (i er; OR experience as Staff | ii) Five years experience as Nursing Sister; OR Ten years experience as Staff Nurse; (iii) A division Nurse (with interpretation) registered |
| Matric stan Nursing Administra- | | | (iii) A division Midwife t with Har tration Co (iv) Hindi up | raining) registered yana Nurses Regis- ouncil; | Midwile training Nurses Regis- |

blic Health ecognised sity;

Con State

a,

(iv) Hindi upto Matric standard ;

-

ł.

, , ,

and they

1. 1. C.

1

1.9

4.014 Ne .

H.

2:26

うない

14, 1998

HAR

| 1 2 3 4 8 Sister Tutor. (i) B.Sc (Hons) Nursing or B.Sc (post Basic) Nursing ; OR (i) B.Sc (Hons) Nursing or B.Sc (post Basic) Nursing , OR (i) B.Sc (Hons) Nursing or B.Sc (post Basic) Nursing , OR Diploma in Nursing Education and Administration from a recognised Institute/University ; (ii) Five years experience as Nursing sister ; OR Sr. Designation of No. posts (iii) A civision Nurse (with Midwife Training) registered with tration Council ; (iii) A division Nurse (with Midwife Training) registered with tration Council ; 1 2 9 Nursing Sister. (i) B.Sc (Hons) Nursing or B.Sc (post Basic) Nursing ; (i) Hindi upto Matric standard ; (ii) A division Nurse (with Midwife Training from a recognised Institute/University ; (ii) Five years experience as staff Nurse; 1 2 10 Staff Nurse (ii) B.Sc (Hons) Nurse (with Midwife training) registered with Midwife training) registered with Midwife training from a recognised Institute/University ; 1 1 1 9 Nursing Sister. (ii) B.Sc (Hons) Nurse (with Midwife training) registered with Midwife training) registered with Midwife training) registered with Midwife training) registered with Haryana Nurses Registraing Cona i; 1 1 2 10 Staff Nurse (iii) A division Nurse (with Midwife training) registered with Haryana Nurses 3 5 District Nursing Officer | | , 172 | 14, 1998 | ПА |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| b.Sc (Hons) Nursing or B.Sc (Hons) Nursing , OR Diploma in Nursing Education and Administration from a recognised Institute/University; (ii) Five years experience as staff Nurse; (iii) Five years experience as staff Nurse; (iii) A clivision Nurse (with Midwife Training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iii) A clivision Nurse (with Midwife Training) registered with tration Council; (iv) Hindi upto Matric standard; (ii) Staff Nurse. (i) B. Sc (Hons) Nursing or B. Sc(post Basic) Nursing, OR (iv) Hindi upto Matric standard; (iv) B. Sc (Hons) Nurses (registered with Haryana Nurses (registered with Midwife Training) registered with Midwife Training, registered standard; (iv) Hindi upto Matric standard; (iv) Hindi upto Matric stand- dard; (iv) B. Sc (Hons) Nursing or B. Sc(post Basic) Nursing, OR (iv) Hindi upto Matric standard; (iv) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iv) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iv) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iv) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iv) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iv) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iv) Preference will be given Nurse (iv) Preference will be given (iv) Preference will be given< | 1 2 | the second s | | j*~ |
| recognised Institute/University; fill Five years experience as staft Nurse; (ii) Five years experience as staft Nurse; (iii) A civision Nurse (with Midwife Training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iii) B. Sc(Hons) Nursing or B.Sc (post Basic) Nursing; (iii) B. Sc(Hons) Nursing or B.Sc(post Basic) Nursing; (iii) B. Sc(Hons) Nursing or B.Sc(post Basic) Nursing; (iii) B. Sc(Hons) Nursing or B.Sc(post Basic) Nursing; (iii) A division Nurse (with Midwife training from a recognised Institute/ University; (iii) A division Nurse (with Midwife training registered with Maryana Nurses Registration Council; (iii) A division Nurse (with Midwife training registered with Maryana Nurses Registration Council; (iii) A division Nurse (with Midwife training) registered with Maryana Nurses Registration Council; (iii) A division Nurse (with midwife training) registered with Maryana Nurses Registration Council; (iii) A division Nurse (with midwife training) registered with Maryana Nurses Registration Council; (iii) A division Nurse (with midwife training) registered with Maryana Nurses Registration Council; (iii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses (iii) C-2 from any recognised Institution; (iii) Hindi upto Matric standard; (iii) | 8 Sister Tutor. | OR Diploma in Nursing Educe | OR | · · · · · |
| (iii) A division Nurse (with Midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iv) Hindi upto Matric standard; (iv) Preference will be given to Diploma in Home | | (ii) Five years experience as Nursing sister ; OR Ten years experience as staff Nurse; | tion and Administration sity; from a recognised Institute/ University; (ii) Five years experience as Nursing sister; OR Ten years experience as staff | Sr. Designation of A No. posts |
| 9 Nursing Sister. 10 Staff Nurse. 11 Nursing Sister Nursing or B. Sc(Hons) Nursing or B. Sc(Post Basic) Nursing or B. Sc(Post Basic) Nursing or B. Sc(Post Basic) Nursing or Content Nurse Science S | | with Haryana Nurses Regis tration Council; | - Haryana Nurses Registration | 1 2 |
| Diploma in General Nursing vith Midwife Training from a recognised Institute/University;Nursing Cfficer10 Staff Nurse.(i) B. Sc(Hons) Nursing or B. Sc(post Basic) Nursing OR(ii) A division Nurse (with Midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council;4 Matron10 Staff Nurse.(i) B. Sc(Hons) Nursing or B. Sc(post Basic) Nursing OR(ii) B. Sc(Hons) Nursing or B. Sc(post Basic) Nursing OR5 District Nursing Officer10 Staff Nurse.(i) B. Sc(Hons) Nursing or B. Sc(post Basic) Nursing OR6 Assistant Matron B. Sc(post Basic) Nursing OR10 Staff Nurse.(ii) A division Nurse (with midwife training) register- ed with Haryana Nurses Registration Council; c(iii) Hindi upto Matric standard; (iii) Preference will be given to Diploma in Home(ii) Preference will be given to Diploma in Home10 Staff Nurse | 9 Nursing Sister. | standard; | (i) B.Sc (Hons) Nursing or | Superintendent |
| Staff Nurse ;4 Matron10 Staff Nurse.(i) B. Sc(Hons) Nursing or B. Sc(post Basio) Nursing OR Diploma in General Nurs- ing with Midwife Training from a recognised Institute/ University;(ii) B. Sc(Hons) Nursing or B. Sc(post Basio) Nursing OR Diploma in General Nurs- ing with Midwife Training from a recognised Institute/ University;(iii) B. Sc(Hons) Nursing OR Diploma in General Nurs- ing with Midwife Training from a recognised Institute/ University;6 Assistant Matron(ii) A division Nurse (with midwife training register- ed with Haryana Nurses Registration Council; (iii) Hindi upto Matric standard; (iii) Preference will be given to Diploma in Home(i) 10+2 from any recognised Institution ;11 Lady House Keeper. | | | Diploma in General Nursing with Midwife Training from a recognised Institute/ University; | Nursing Officer |
| 10 Staff Nurse. (i) B. Sc(Hons) Nursing or B. Sc(post Basio) Nursing OR Diploma in General Nurs- ing with Midwife Training from a recognised Institute/ University; (ii) B. Sc(Hons) Nursing or B. Sc(post Basic) Nursing, or OR Diploma in General Nurs- ing with Midwife Training from a recognised Institute/ University; (ii) B. Sc(Hons) Nursing or B. Sc(post Basic) Nursing, or B. Sc(post Basic) Nurse, with Midwife Training, or Mithet Haryana Nurses Registration Council; (ii) Hindi upto Matric standard; (iii) Hindi upto Matric standard; (iii) Hindi upto Matric standard; (iii) Hindi upto Matric standard; (iii) Preference will be given to Diploma in Home Science 5 District Haller Officer 6 Assistant Matric Sister 11 Lady House Institution; 6 11 10 11 | | × | Staff Nurse ; (iii) A division Nurse (with Midwife training) registered | 4 Matron |
| (ii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council; (iii) Hindi upto Matric standard; (iii) Preference will be given to Diploma in Home | 10 Staff Nurse. | B. Sc(post Basic) Nursing OR Diploma in General Nurs- ing with Midwife Training from a recognised Institute | Registration Council; (iv) Hindi upto Matric standard; (i) B. Sc(Hons) Nursing or B.Sc(post Basic) Nursing; OR Diploma in General Nurs- ing with Midwife Training from a recognised Institute/ | Officer 6 Assistant Matro 7 Public Health |
| (i) 1C+2 from any recognised (i) 10+2 from any recognised Institution; (ii) Hindi upto Matric standard; (ii) Hindi upto Matric standard; (iii) Preference will be given (iii) Preference will be given to Diploma in Home to Diploma in Home | Lady House | (ii) A division Nurse (with midwife training) register- ed with Haryana Nurses Registration Council; ii) Hindi upto Matric standard; (i | (ii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses | 9 Nursing Sister |
| | Keeper. ((ii (lii) | i) 1C+2 from any recognised (i) Institution; i) Hindi upto Matric standard; (i) Preference will be given (iii) to Diploma in Home | i) 10-+2 from any recognised Institution; ii) Hindi upto Matric standard;) Preference will be given to Diploma in Home | 11 Lady House Keeper |

1998

| sing or Nursing , | 1 0 | i.t. | APPENDIXC | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| sing Educe | [See rule 14(1.]] | | | | | | |
| d Institute/ Sr. | Designation of p. posts | Appointin authority | | empowe to impos renalt | | Second and final appellate authority, if any | |
| (with 1 stered with | 2 | 3 | | 5.04 | 6 | 7 | |
| gistration | | Minor | penalties | 4 | | e | |
| ing or | 1 Nursing Superintendent | Director- General | (i) warning with a copy in the personal file | Director- Cieneral | jovern- ment | | |
| ing; OR Nursing from a iversity; | 2 Public Health Nursing Officer | | (character roll) (ii) censure | ; | | | |
| | 3 Principal Tutor | | (iii) withholding of promotions; | | | | |
| stered | 4 Matron | | (iv) recovery from pay of the wh or part of any | ole | | | |
| ard; | 5 District Nursing Officer | | pecuniary loss caused by negligence or | | | | |
| ng; | 6 Assistant Matror7 Public Health | 1 | breach of orde to the Centra Government | 1 | | | |
| urs- ning ute/ | Nurse | | State Governm or to a compa and associati | any | | | |
| | 8 Sister Tutor | | or a body of individuals | | | | |
| red | 9 Nursing Sister | | whether inco ated or not, wh is wholly or | rpor- nich | | | |
| ard 1 | 0 Staff Nurse | | substantially owened or con trolled by the | | | | |
| d 1 | 1 Lady House Keeper | | Government of to a local | | | | |
| d; | Reeper | | authority or University set | | 3 ⁶⁰ | | |
| 1 | 4 | | up by an Act Parliament or | of , | 24 | | |
| - (| | н арага стала на арага 2 | | | - the second | | |
| | 30 | | | | | | |
| | * | | R | | 8 | Ś | |
| | 1 - 2 | an antar t | - douber ching it | LAN- | the start | Frank St | |

and the state of the

1.1.1

Section of the sectio

The second second second

ALC: N

2128

HARYANA GOVT GAZ., JULY 14, 1998 (ASAF 23 1920 SAKA)

5

6

Director Govern-

General ment

7



- of the Legislature of a State; and
- withholding of increments of pay without cumulative effect;

(2) Major Penalties :

(vi) withholding of increments of pay with cummulative effect;

(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, posts or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post of service from which